सत्यब्रत साहु, आईएएस
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

प्रिय महोदय/महोदया,

यह मंत्रालय एक "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल नीति" तैयार करने की प्रक्रिया में है, जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएँगे। जैसा कि सचिव (डीडब्ल्यूएस) द्वारा सुझाव दिया गया है, इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए निम्न लिखित सूचना की तत्काल आवश्यकता है जिसे फैक्स (011-24364113) के द्वारा अथवा jstm@nic.in पर मेल से आज शाम तक भेज दिया जाए:

I. प्रशासनिक आदेशों/अनुमोदनों तथा पूर्णतया माइक्रो स्तरों/कार्यान्वयन स्तरों तक प्रशासनिक सैट अप के फ्लो सहित एनआरडी डब्ल्यूपी के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सैट-अप
II. पूर्णतया माइक्रों स्तरों/कार्यान्वयन स्तरों तक फंड के फ्लो के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए वित्तीय ढाँचा(सैट-अप)
III. योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को कम करने वाली समस्याओं का पता लगाया जाए और संभावित उपाय भी बताए जाएँ।

सादर,

भवदीय,

(सत्यब्रत साहु)

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव प्रभारी-पीएचईडी/आरडब्ल्यूएस-सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।